सीएसआईआर-केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
पिलानी (राजस्थान) 333031

सं.35/43/2022-रा.भा. दिनांक :- 30.03.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- पहचान पत्र जारी करने संबंधी 'मार्गदर्शी सिद्धांत/दिशानिर्देश

कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसलिए सभी कार्मिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इसे संभालकर रखें। पहचान पत्र खोने/गुम होने की सूचना सहकर्मी द्वारा लिखित रूप में अनिवार्य रूप से तत्काल/अविलंब संस्थान के निदेशक/प्रशासन नियंत्रक को दी जानी चाहिए तथा प्राथमिकी/एफआईआर (FIR)/पुलिस को दी गई सूचना की प्रति के साथ नए पहचान पत्र हेतु आवेदन किया जाए।

विधिवत आवेदन किए जाने पर नया पहचान पत्र निम्नलिखित स्थितियों में ही (निशुल्क/शुल्क सहित)जारी किया जा सकता है :-

1. पदनाम में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन होने पर पहचान पत्र निशुल्क जारी किया जायेगा।
2. पदोन्नति के उपरांत पदनाम बदलने की स्थिति में भी पहचान पत्र निशुल्क जारी किया जायेगा।
3. पहचान पत्र खराब/विकृत होने पर नए पहचान पत्र के लिए निर्धारित शुल्क रु.150/- जमा करवाना होगा।
4. पहचान पत्र खो जाने पर नए पहचान पत्र के लिए एफआईआर/पुलिस को दी गई सूचना की प्रति तथा निर्धारित शुल्क रु.150/- जमा करवाना होगा।

अन्य महत्वपूर्ण अनुदेश :

1. उपर्युक्त मद सं. 4 में उल्लिखित स्थिति के अलावा अन्य स्थितियों में नया पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए अधिकारी/कर्मचारी को संस्थान द्वारा पूर्व में जारी नवीनतम मूल (Original) पहचान पत्र जमा कराना होगा। पुराना पहचान पत्र जमा कराए बिना नया पहचान पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
2. यदि बाद में यह ज्ञात हुआ कि सहकर्मी द्वारा नया पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए स्कैन किया गया या छद्म/गलत पहचान पत्र जमा किया है तो संस्थान द्वारा उस पर कार्रवाई की जा सकती है।
3. विभाग/अनुभाग/समूह/क्षेत्र में परिवर्तन होने पर पहचान पत्र नहीं बदला जाएगा।
4. पहचान पत्र में दिए गए अन्य विवरणों (पता/मोबाइल नं. आदि) में परिवर्तन होने पर पहचान पत्र नहीं बदला जाएगा।
5. संस्थान से सेवानिवृत्त/स्थानांतरित होने पर नवीनतम मूल पहचान पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। बिना पहचान पत्र जमा कराए बेबाकी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

30/03/2022

(जय शंकर शरण)
प्रशासन नियंत्रक

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक कार्यालय, सीएसआईआर-सीरी
2. प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी, सीएसआईआर-सीरी
3. प्रभारी, एनएमसी-संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
4. संबंधित फाइल
5. सूचना पट्ट